छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 159/2008

1. **श्री सुरेश नखत,** – *अपीलार्थी*
   डोंगरगांव,
   जिला– राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – *प्रति अपीलार्थी*
   कार्यालय– वन मण्डलाधिकारी,
   दुर्ग वनमण्डल,
   दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 24 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्री सुरेश नखत, डोंगरगांव, जिला– राजनांदगांव द्वारा दिनांक 03.09.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए वन मण्डलाधिकारी, दुर्ग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । उक्त अपील पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.11.2007 द्वारा बिन्दु कमांक–3, 6, 7 एवं 8 की जानकारी नि:शुल्क प्रदान करने के निर्देश दिये गये, किन्तु उसके बाद भी जानकारी समय पर नही दिये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में अत्यन्त विस्तृत जानकारी माँगी गई थी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में विस्तृत विवेचना की है और बिन्दु कमांक–1, 2, 4 एवं 5 के बारे में अपील अस्वीकार की थी, अत: उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है तथा अपीलार्थी ने भी मौखिक तर्क के समय इससे सहमति प्रकट की है । प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जिन बिन्दुओं के संबंध में जानकारी देने के आदेश दिये थे, उसके संबंध में भी बिन्दु कमांक–6 शासन से संबंधित होना बताया गया है, किन्तु इससे संबंधित जो शासन के निर्देश है, उनको वन मण्डलाधिकारी द्वारा दिया जा सकता है । प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक 07.06.2008 को वन मण्डलाधिकारी द्वारा समक्ष में जानकारी अपीलार्थी को प्रदान की है, फिर भी यदि कोई जानकारी शेष पाई जाती है तो निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को बुलाकर उन्हें संबंधित रिकार्ड का

निःशुल्क निरीक्षण करा दिया जावे और शेष जानकारी चाहे तो निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में तथ्यों को देखते हुए शास्ति की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त